EAST COAST RAILWAY

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी का कार्यालय/
Office of the Principal Chief Personnel Officer
रेल सदन, द्वितीय तल, भुवनेश्वर - 751017
Rail Sadan, IInd Floor, Bhubaneswar-751017

स्थापना क्रमांक/ Estt. Srl. No.153/2019
पूतरे/कार्मिक/आर/ECoR/Pers/R/Welfare

RBE:- 103/2019
Date: 08.07.2019

सेवा मे,
सभी प्रमुख विभागाध्यक्षों/समन्वयक विभागाध्यक्षों, पू त रे/भुवनेश्वर
मं.रे.प्र/व.मं.का.अधिकरी/मं.का.अधिकारी-खोरधारोड,वालातेरू, संबलपुर,
मु;कारखाना प्रबंधक/कारखाना कार्मिक अधिकारी- मंचेश्वर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार/रेल दावा अधिकरण,
व.का अधिकारी(नि)/भुवनेश्वर
महा सचिव/इकोर श्र. कां., महा सचिव/इकोर श्र. यू.,
महा सचिव/एआई ओ बी सी आर ई ए, महा सचिव/ ए आई एस सी एस टी आर ई ए

Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 – Table of Benefits for the Savings Fund for the period from 01.04.2019 to 30.06.2019.

******

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड पत्र सं. PC-III/2000/GIS/2 दिनांक 26.06.2019 की प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेपित है।

A copy of the Board's Lr. No- PC-III/2000/GIS/2 dated 26.06.2019 on the above quoted subject is forwarded herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

(G.Sethy)
Dy.Chief Personnel Officer(IR&W)
For Principal Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि प्रेपित/Copy to :

1) महाप्रबंधक के सचिव/पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
2) मुकाधि/मुकाधि(प्रशा.), उप म.प्र, अध्यक्ष(रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ)
3) उप मुख्य प्रबंधक(सू.प्रौ), उप मुकाधि(औ.सं.एवं कल्याण), वकाधि(इंजी.)
4) वकाधि(स्टाफ), वकाधि(मुख्या. एवं न्याया.)
5) मुकाधि के निजी सचिव/सहा.कार्मिक अधि.(मुख्या.),सहा.कार्मिक अधि.(कल्याण), सहा.कार्मिक अधि.(बिल).

RB - 1471
क्र.सं/Sl.No........
दिनांक/Date 1/7/19
Initial

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड/Railway Board

1015
3/7/19 PCPO

(G.M.)

सचिव/Secy

Initial

RBE No: 03/2019 दिनांक/Date
dated 2?/06/2019.

No. PC-III/2000/GIS/2

The General Managers/Director General,
All Indian Railways/Production Units etc.,
(As per Standard Mailing List)

East Coast Railway
Bhubaneswar

Sub;- Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 – Table of Benefits for the Savings Fund for the period from 01-04-2019 to 30-06-2019.

The Table of Benefits under CGEGIS-1980 for the period 01-01-2019 to 31-03-2019 issued by Ministry of Finance vide their OM dated 11-02-2019 was circulated to Zonal Railways/Production Units etc. vide Board's letter of even no. dated 15-02-2019.

In continuation of Board's letter ibid, a copy of Ministry of Finance's OM No. 7(2)/EV/2016 dated 29- 05-2019 circulating Tables of benefits for the period from 01-04-2019 to 30-06-2019 is enclosed herewith for information and necessary action.

DA: As above

(U.K.Tiwari)
Joint Director, Pay Commission

No. PC-III/2000/GIS/2 dated 2?/06/2019.

Copy forwarded to Dy.Comptroller & Auditor General of India (Railways), New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

No. PC-III/2000/GIS/2 dated ?/06/2019.

Copy forwarded to :-

1. PFAs, All Indian Railways, PUs, NFR(Const)
2. The DG, National Academy of Indian Railways, Vadodara
3. The General Manager, CORE/Allahabad
4. The Director General, RDSO, Lucknow,
5. The General Manager and PFA&CAO, Metro Railway
6. The CAO and PFA&CAO, COFMOW/New Delhi
7. The CAO(Const), MTP(R)/Mumbai
8. The CAO(MTP(R) Chennai
9. The Director, CAMTECH/Gwalior

सं. 7(2)/ई-V/2016

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 29th मई, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 - 01.04.2019 से 30.06.2019 की अवधि के लिए बचत निधि के लाभों की सारणियां।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 के अंतर्गत, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिनांक 03.04.2019 के अपने संकल्प स.5(2)-बी(पीडी)/2019 के तहत यथा-अधिसूचित 8% की वार्षिक ब्याज दर (तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि) के आधार पर बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा 01.04.2019 से 30.06.2019 की तिमाही के लिए तैयार की गई लाभार्थियों हेतु बचत निधि के लाभों की सारणियां, जो इस मंत्रालय के 17.03.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2017 से तिमाही आधार पर जारी की जा रही हैं, संलग्न हैं।

2. विद्यमान पद्धति के अनुसार संलग्न सारणियां दो श्रेणियों की हैं। जैसा कि अब तक होता था, इस स्कीम की बचत निधि के लिए लाभों की पहली सारणी 01.01.1982 से 31.12.1989 तक 10/- रुपए प्रतिमाह और 01.01.1990 से 15/- रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित है। बचत निधि के लिए लाभों की दूसरी सारणी ऐसे कर्मचारियों के लिए 10/- रुपए प्रतिमाह के अंशदान पर आधारित है जिन्होंने 01.01.1990 से अंशदान की संशोधित दर से बाहर रहने का विकल्प दिया था।

3. ये आदेश 01.04.2019 से 30.06.2019 की अवधि के लिए लाभों की सारणी के संबंध में है तथापि 01.01.2019 से 31.03.2019 तक की पहली तिमाही के लिए जारी की जा चुकी सारणियां भी सहूलियत और समेकन के लिए पुनः प्रस्तुत की जा रही हैं।

4. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर इनके लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए जाते हैं।

(अमर नाथ सिंह)

निदेशक

सेवा में

1. केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (संलग्न सूची के अनुसार)
2. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, सभी राज्य सरकार आदि (संलग्न सूची के अनुसार) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अतिरिक्त प्रतियों के साथ

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

रे.बो.स्था.सं | २३/2019

संख्या पी.सी.-3/2000/जी.आई.एस/2 दिनांक: .२१. .06.2019

महाप्रबंधक/महानिदेशक
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं
उत्पादन इकाईयाँ इत्यादि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय :केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 - दिनांक 01.04.2019 से 30.06.2019 तक की अवधि के लिये बचत निधि के लाभों की सारणियां ।

वित्त मंत्रालय के दिनांक 11.02.2019 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा जारी 01.01.2019 से 31.03.2019 की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1980 के अंतर्गत लाभों की सारणियां बोर्ड के दिनांक 15.02.2019 के समसंख्यक पत्र के तहत क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि को परिपत्रित की गई थी।

इस मंत्रालय के उपरोक्त पत्र के क्रम में, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं.7(2)/ई-V/2016 दिनांक 29.5.2019 जिसके द्वारा 01.04.2019 से 30.06.2019 तक की अवधि के लिये बचत निधि के लाभों की सारणियां जारी की गई हैं, की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक : यथोक्त।

(यू.के.तिवारी)
संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

No. 7(2)/EV/2016
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

New Delhi, the 29th May, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980 – Tables of Benefits for the savings fund for the period from 01.04.2019 to 30.06.2019.

The Tables of Benefits for Savings Fund to the beneficiaries under the Central Government Employees Group Insurance Scheme-1980, which are being issued on a quarterly basis from 01.01.2017 onwards, as brought out in this Ministry's OM of even number dated 17.03.2017, for the quarter from 01.04.2019 to 30.06.2019, as worked out by IRDA based on the interest rate of 8% per annum (compounded quarterly) as notified by the Department of Economic Affairs as per their Resolution No. 5(2)-B(PD)/2019 dated 03.04.2019, are enclosed.

2. The Tables enclosed are of two categories as per the existing practice. As hitherto, the first Table of Benefits for the savings fund of the scheme is based on the subscription of Rs.10 p.m. from 1.1.1982 to 31.12.1989 and Rs.15 p.m. w.e.f. 1.1.1990 onwards. The second Table of Benefits for savings fund is based on a subscription of Rs.10 p.m. for those employees who had opted out of the revised rate of subscription w.e.f. 1.1.1990.

3. While these orders are in respect of Table of Benefits for the period from 01.04.2019 to 30.06.2019, the Tables already issued for the first quarter i.e. for the period 01.01.2019 to 31.03.2019 are also reproduced for the sake of convenience and consolidation.

4. In their application to the employees of Indian Audit and Accounts Department, these orders are issued after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

5. Hindi version of these orders is attached.

(Amar Nath Singh)
Director

To

1. All Ministries/ Departments [illegible] Central Government as per standard list

2. Copy with spare copies for information and necessary [illegible] UPSC, all State Government [illegible] standard list.